प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53,88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 2/2 के प0न0 318/403(45) 1 की 0.2150है0, 2 की 0.0890है0, 10 की 0.0250है0 कुल 0.3290है0 भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 6/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादी एवं प्रतिवादी अपने हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक बाहमी बंटवारा काश्त करते एवं रकम राज अदा करते आ रहे है। वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, मुताबिक बाहमी बंटवारा वादी को रोही मौजा चक 24 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 2/2 के प0न0 318/403(45) 1 की 0.2150है0, 2 की 0.0890है0, 10 की 0.0250है0 भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा भूमि दक्षिण साईड में खाले के पास की काश्त करता आ रहा है। वादी ने बंटवारा में प्राप्त भूमि में सींव डोल कायम कर रखी है लेकिन विवादित भूमि का खाला व लगान मुस्तरका है जिससे लगान काश्त व सींव का झगड़ा रहता है इसलिए वादी बाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान तकसीम करवाकर अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी को काफी मर्तबा कहा कि विवादित भूमि में अपने हक व हिस्सा का मुताबिक बाहमी बंटवारा कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवा ले तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु [illegible] इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस सम्यक रूप से तामील होने के उपरान्त भी प्रतिवादी [illegible] उपस्थित नही। अतः प्रतिवादीग स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर के पत्रांक 292 दिनांक 24.05.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 2/2 की कुल 0. 3290है0 भूमि में अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षों की उपस्थित में तैयार किया गया है। वाद वादी, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. रामकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर खातेदार चक 24 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 318/403(45) 1/2 की .022 हैक्ट, 10 की 0.025 हैक्ट कुल किता 2 की 0.047 हैक्ट नहरी
2. हनुमान पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन जसाना खातेदार 24 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 318/403(45) 1/1 की .193 हैक्ट, 2 की 0.089 हैक्ट कुल किता 2 की .282 हैक्ट नहरी ।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बिरकाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

अनवानः–

1. रामकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विजाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. रामकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर खातेदार चक 24 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 318/403(45) 1/2 की .022 हैक्ट, 10 की 0.025 हैक्ट कुल किता 2 की 0.047 हैक्ट नहरी
2. हनुमान पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन जसाना खातेदार 24 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 318/403(45) 1/1 की .193 हैक्ट, 2 की 0.089 हैक्ट कुल किता 2 की .282 हैक्ट नहरी ।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अन्तिम डिक्री आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बिरकाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested